डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, सोमवार , दिनांक 27 अगस्त 2001—भाद्र 5, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1797/एफ-10/324/2001/वाक/पांच (44).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची-2 के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशाित होने के दिनांक से 5 दिवस के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में उपर विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा :—

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में,—

भाग-तीन की प्रविष्टि क्रमांक 54 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्

55 अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी प्रकार की गैस जिसमें लिक्विीफाइड गैस शामिल है. 12

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2001

क्रमांक 1798/एफ-10/324/2001/वाक/पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1797/एफ-10/324/2001/वाक/पांच (44), रायपुर, दिनांक 27-8-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2001

NOTIFICATION

No. 1797/F-10/324/2001/CT/V (44).—The following draft amendment to Schedule II to the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the said Adhiniyam, is published as required by the second proviso to the said sub-section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of five days from the date of publication of this notification in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, shall be considered by the State Government :—

DRAFT AMENDMENT

In the Schedule II of the said Adhiniyam, —

In part III, after serial number 54, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

55 All kinds of gases including liquified gases except those specified elsewhere in the schedule. 12

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त 2001—भाद्र 5, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 77/4785/2001/1/3.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक-28 सन् 2000) की धारा-79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसकेअधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए)छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.
2.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 27th August 2001

NOTIFICATION

No.77/4785/2001/1/3.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2001.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate of licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Civil Services (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) Rules, 1966.
2.	The Madhya Pradesh Civil Services (CONDUCT) Rules, 1965.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
INDIRA MISHRA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त 2001—भाद्र 6, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक 4535/363/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) है.

(दो) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें.

धारा 16-(ग) का अंतः स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है.) की धारा 16-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"16-(ग) लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी.

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे :—

(क) पुनर्गठन की रीति;

(ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्त्तव्य, कर्मचारीवृन्द ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात् बनाए गए हों;

(घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसा कि आवश्यक हो;

(ङ) अन्य ऐसे विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएं.

3. राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन जारी किन्ही आदेशों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपान्तरित या निरस्त कर सकेगी.

4. प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे.

5. ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक 4535/363/प्रा./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2001)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2001

A Act to amend further the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Adhiniyam, 2001 (No. 11 of 2001). **Short Title and Commencement.**

(ii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

2. After Section 16-B of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (Which is herinafter referred as a principal Act). The following section shall be inserted, namely :— **Insertionof Section 16-C.**

"16 (C) Government's power to make scheme of reorganisation in the public interest.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Rules made thereunder, if the State Government, on receipt of a report from the Registrar or otherwise, is satisfied that in the public interest it is necessary to reorganise any society or societies for the purpose of securing proper implementation of development programmes. The State Government, as it may deemed necessary, may make such scheme of reorganisation and issue orders to implement above scheme.

(2) There shall be the provisions in scheme of reorganisation regarding :—
(a) Method of reorganisation;
(b) Procedure for reorganisation;
(c) To the membership, registration, management, assests and liabilities, powers, rights, interests, duties, staff and conditions of employment of such society or societies which are made after reorganisation;
(d) Such other consequential, incidental and supplementary provisions as may be necessary;
(e) Any other subject as may deemed necessary by the State Government.

3. The State Government may modify or cancel any reorganisation scheme made or issued any orders under sub-section (1).

4. The provisions regarding every reorganisation scheme and the orders issued by the State Government shall be binding upon the interested parties.

5. Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-स] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त 2001—भाद्र 6, शक 1923

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 772/स.क. /नशाबंदी/01/2001.—राज्य में नशाबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, जो नशाबंदी के पक्ष में जनमत तैयार कर सके और उसे क्रियात्मक मोड़ दे सके. अत: राज्य सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तर पर नशाबंदी मण्डल का गठन करता है :—

1.	माननीय मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी वाणिज्य कर	सदस्य
4.	माननीय मंत्री जी आदिमजाति कल्याण	सदस्य
5.	विधान सभा सदस्य-3	
	1. माननीय विधायक श्री डोमेन्द्र भेडिया, डौंडीलोहारा	सदस्य
	2. माननीय विधायक श्री कवासी लखमा, कोंटा	सदस्य
	3. माननीय विधायिका श्रीमती फुलोदेवी नेताम, केसकाल	सदस्य
6.	महानिदेशक पुलिस	सदस्य
7.	आबकारी आयुक्त	सदस्य

8.	सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
9.	आयुक्त, जनसंपर्क	सदस्य
10.	आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य-सचिव
11.	मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि-3	
	1. श्री राजीव कुरियाकोस, राजनांदगांव	सदस्य
	2. श्री सोनुराम साहू, ढाबा राजनांदगांव	सदस्य
	3. श्रीमती गुरमीत धनई, भिलाई-दुर्ग	सदस्य

2. राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल के कृत्य निम्नानुसार हैं :—

2.1 नशाबंदी से संबंधित सभी विषयों के बारे में शासन को सलाह देना.
2.2 नशाबंदी के पक्ष में जनमत तैयार करना और क्रियात्मक दृष्टि से उसे संगठित करना.
2.3 नशे के स्थान पर मनोरंजन के अन्य साधनों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना.
2.4 नीरा एवं दूध के समान पोषक तथा नशे से मुक्त पेयों को प्रोत्साहन देना.
2.5 स्वयं सेवी संस्थाओं एवं स्थानीय प्राधिकरणों को सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरणा देना. और आवश्यकतानुसार शासन से सहायता के लिए सिफारिश करना.

3. राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

4. राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल की बैठक सामान्यत: वर्ष में दो बार अध्यक्ष द्वारा नियत की गई तिथि तथा समय में होगी. अध्यक्ष कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन-पत्र पर या स्वयं अपनी इच्छा से मण्डल की बैठक किसी भी समय बुला सकेंगे.

5. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मण्डल की अध्यक्षता करेंगे और ऐसा करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्त्तव्य तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-द] रायपुर, गुरुवार , दिनांक 30 अगस्त 2001—भाद्र 8, शक 1923

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2001

क्रमांक 1217/वि.स./मबावि/2001.—छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) का अनुकूलन आदेश एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1217/वि.स./मबावि/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधि का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (दो) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथा संशोधित विधियां, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरंचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, छत्तीसगढ़ राज्य में, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए.

3. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए (छत्तीसगढ़) राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधि का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2001

क्रमांक 1217/वि.स./मबावि/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) का अनुकूलन आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th August 2001

NOTIFICATION

No.1217/वि.स./मबावि/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (N0. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of laws order, 2001.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Rajya Mahila Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 20 of 1996).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. AGRAWAL, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-इ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अगस्त 2001—भाद्र 7, शक 1923

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 3856/2001/चि.शि.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 29 अगस्त सन् 2001 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2001

क्रमांक 3857/2001/चि.शि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3856/2001/चिशि, दिनांक 29-8-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 29th August 2001

NOTIFICATION

No. 3856/2001/ME.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001), the State Government, hereby appoints the date 29th August 2001 on which the Chhattisgarh Chikitsa Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001) shall come into force on the whole State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK SHUKLA, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.